आदेश

मेसर्स नवीन ट्रांसपोर्ट के वाहन संख्या CG-07E-6030 एवं CG-07E-3060 पर छतीसगढ़ परिवहन प्राधिकार द्वारा मार्ग अंबिकापुर से पटना पर निर्गत परमिट संख्या CG/STA/35/2016 एवं CG/STA/34/2016 के प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन STA, बिहार के कार्यालय में प्राप्त हुए।

प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्राप्त इन आवेदनो पर श्री सैयद अनवर अली एवं श्री वसीउर रहमान द्वारा निम्न आधारों पर STA बिहार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत किया गया है :–

(i) मेसर्स नवीन ट्रांसपोर्ट द्वारा वाहन संख्या CG-07E-6030 एवं CG-07E-3060 पर RTA, विलासपुर एवं STA, छतीसगढ़ से परमिट लेकर वाहन का परिचालन किया जा रहा है। RTA, विलासपुर से दुर्ग से अंबिकापुर मार्ग तक तथा STA, छतीसगढ़ से अंबिकापुर से पटना मार्ग तक का परमिट लेकर तथा दोनों मार्गो को जोड़कर वाहन का परिचालन किया जा रहा है जो वैध नहीं है।

(ii) STA, छतीसगढ़ द्वारा मेसर्स नवीन ट्रांसपोर्ट के वाहनों के पक्ष में दिए गए परमिटों में मार्ग की लंबाई गलत ढ़ंग से 982 KM दिखाई जा रही है।

(iii) एक ही वाहन को दुर्ग से अंबिकापुर एवं पुनः अंबिकापुर से पटना तक 879 KM लगातार 20 घंटे चलाया जाएगा इससे दुर्घटना की संभावना बनी रहेगी जो यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही नहीं रहेगी।

(iv) लंबी दूरी के मार्गों में सुरक्षा की दृष्टि से यह अनिवार्य है कि एक चालक 5 घंटे से ज्यादा वाहन का परिचालन नहीं करे। अतः बीस घंटे के परिचालन हेतु चार चालकों एवं चार संवाहकों की आवश्यक होगी। अतः वाहन स्वामी से इस आशय का शपथ पत्र लिया जाना चाहिए कि वे मार्ग में परिचालन हेतु चार चालक एवं चार संवाहकों का प्रयोग करेंगे।

(v) आपत्रिकर्ता द्वारा यह भी आपति की गई है कि आवेदनकर्ता के वाहन स्लीपर बस है तथा न तो Act में न Rule में और न ही CMVR में स्लीपर बस का प्रावधान है अगर छतीगढ़ में Sleeper बस का प्रावधान है तो बिहार, STA इसे मानने को बाध्य नहीं है साथ ही प्रतिहस्ताक्षर हेतु निर्धारित प्रपत्र में भी बैठान क्षमता का ही प्रावधान है न कि स्लीपर का। तर्क दिया गया कि बिहार–छतीसगढ़ के बीच हुए परिवहन समझौते में यह तथ्य निहित है कि अगर एक राज्य कोई अधिसूचना निर्गत करता है तो वह दोनों राज्यों को मान्य होगी अतः STA बिहार के ज्ञापांक 02/CMT/03/3546 दिनांक 19.08.2011 द्वारा जो रोक स्लीपर बस पर लगाई गई है, वह छतीसगढ़ STA को भी मान्य होनी चाहिए तथा स्लीपर बस होने के कारण परमिट प्रतिहस्ताक्षर का आवेदन अस्वीकृत होना चाहिए।

(vi) मेसर्स नवीन ट्रांसपोर्ट द्वारा STA, छतीसगढ़ तथा RTA, विलासपुर से एक ही वाहन पर दो परमिट लेकर वाहन परिचालन किए जाने से संबंधित एक अन्य मामला STA के विचारार्थ लंबित है। अतः इस मामले को भी STA, के निर्णय हेतु सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

(vii) नवीन ट्रांसपोर्ट के वाहन कर प्रमादी है।

प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्राप्त आवेदनों पर दर्ज इन आपत्तियों की सुनवाई राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 03.11.2016, 14.11.2016 एवं 28.11.2016 को की गई। आपत्तिकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता एस0 के0 गुप्ता तथा आवेदनकर्ता की ओर से अधिवक्ता रणधीर कुमार सिंह ने अपना पक्ष रखा।

आवेदनकर्ता मेसर्स नवीन ट्रांसपोर्ट के अधिवक्ता श्री रणधीर कुमार सिंह द्वारा आपतिकर्ताओं द्वारा दर्ज उपरोक्त अपतियों का जवाब निम्न रूप में दिया गया–

(i) एक ही वाहन पर RTA एवं STA से दो परमिट लेकर मार्गों को जोड़कर वाहन परिचालन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश AIR 1975 SC 123 का हवाला देते हुए कहा कि एक ही वाहन पर दो परमिट लिया जा सकता है। साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि आपतिकर्ताओं द्वारा भी इस प्रकार वाहन का परिचालन किया जा रहा है।

(ii) छतीसगढ़ STA द्वारा जारी परमिट में मार्ग की लंबाई गलत ढंग से 982 KM दिखाने के संबंध में आवेदनकर्ता के अधिवक्ता द्वारा पक्ष रखा गया कि इस भूल का सुधार STA छतीसगढ़ द्वारा करवा लिया गया है तथा साक्ष्य के रूप में छतीसगढ़ STA द्वारा निर्गत पत्रांक 5095 दिनांक 21.11.2016 की छायाप्रति उपलब्ध करवाई जिससे सिद्ध हुआ कि सुधार करवा लिया गया है। भूल सुधार के अनुसार मार्ग की लम्बाई 369 कि0मी0 है।

(iii) सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवेदनकर्ता के अधिवक्ता द्वारा पक्ष रखा गया कि अंबिकापुर एवं पटना के बीच एक बस नहीं बल्कि दो बसों का परिचालन किया जाएगा। साथ ही दोनों वाहन 2015 मॉडल तथा व्हील बस 222 MM के है। छतीसगढ़ STA द्वारा जारी दोनों परमिटों के समय चक्र के मिलान से तथा दाखिल अन्य कागजातों से इस तथ्य की पुष्टि हुई।

(iv) स्लीपर बस के संबंध में आवेदनकर्ता के अधिवक्ता द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र का हवाला दिया गया जिसके अनुसार राज्य में संचालित होने वाले स्लीपर बसों में स्लीपर सीट को बैठान के दो सीट मानते हुए करारोपण का निर्देश है। बताया गया कि वाहन में 21 स्लीपर (बैठान 21 x 2=42) एवं 20 बैठान क्षमता को जोड़कर कुल 62 बैठान क्षमता के बराबर वाहन स्वामी द्वारा कर (Tax) जमा किया गया है।

(v) आपतिकर्ताओं की आपति है कि सदृश्य मामला STA, बिहार के निर्णय हेतु लंबित है, आवेदनकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह पक्ष रखा गया कि प्रतिहस्ताक्षर के मामले में राज्य परिवहन आयुक्त सक्षम प्राधिकार है, अतः यह मामला राज्य परिवहन आयुक्त के स्तर से निष्पादित होनी चाहिए।

(vi) वाहनों के कर प्रमादी नहीं होने के संबंध में आवेदन कर्ता द्वारा RTA दुर्ग (छतीसगढ़) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जिससे तथ्य की संपुष्टि हुई कि वाहन कर प्रमादी नहीं है।

उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना

एक अन्य मामला प्रतिहस्ताक्षर पर्ची संख्या 24/2014 एवं 25/2014 नवीन ट्रांसपोर्ट बनाम वसीउर रहमान, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है जो सभी दृष्टिकोण से वर्तमान मामले के अनुरूप है।

सदृश मामला होने के कारण इस वाद को भी राज्य परिवहन प्राधिकार के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

उभय पक्षों को सूचित करें।

लेखापित एवं प्रतिहस्ताक्षरित

राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :— 7210 दिनांकः— 7/12/16

E-mail

प्रतिलिपिः—सहायक सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार छतीसगढ़ रायपुर/सचिव राज्य परिवहन प्राधिकार झारखंड, रांची/हरजिंदर सिंह बल, मेसर्स नवीन ट्रांसपोर्ट, 8 B, Industrial Area, Dhamdha Road, Durg छतीसगढ़/सैयद अनवर अली न्यू बस स्टैण्ड पडरी रायपुर, छतीसगढ़/श्री वसीउर रहमान, 357, बैक ऑफ इंडिया कॉलोनी इन्द्रपुरी, शास्त्रीनगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।